20रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
10रु. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

330

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /2017 निगरानी

निगरानी/छतरपुर/भू.रा.सं./2017/2688

1. श्रीमती कुसुम दयाल पत्नी श्री रामदयाल निवासी नौगाव जिला छतरपुर म.प्र. ।
2. श्रीमती हीरादेवी पत्नी श्री भगुन्तलाल अहिरवार निवासी ग्रम धनेरा तहसील बल्देवगढ जिला टीकगमढ म.प्र.
3. रामदयाल तनय स्व श्री बल्देव प्रसाद अहिरवार निवासी नोगाव तहसील नौगांव जिला छतरपुर म.प्र.

.............आवेदकगण

विरूद्ध

शम्भू दयाल साहू तनय श्री छेदीलाल साहू निवासी ग्रम नौगांव तहसील नौगांव जिला छतरपुर म.प्र.

..........अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 18/8/17 को प्रस्तुत
18.8.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू--राज्य सहिता 1959 विरूद्ध तहसीलदार तहसील नौगांव जिला छतरपुर म.प्र. रा0प0प्र0क 23/अ–3/12–13 मे पारित आदेश दिनांक 24.4.2013 के विरूद्ध निगरानी ।

18/8/17

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:

1. यहकि ,प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा भूमि ग्रम नौगांव की आराजी नम्बर 754/2/15,754/2/18,रकवा 0.057, 0. 103 हे. भूमि का नक्सा तरमीम कराये जाने हेतु आवेदन पत्र दिया गया जिस आवेदन पत्र पर से तहसीलदार नोगांव जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क 23/अ–3/12–13 दर्ज किया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा चोरी छूपके

11

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/2688 कुसुम विरूद्ध शम्भूदयाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
~~21-01-2019~~ 17.01.19	1. प्रकरण प्रस्तुत ।	
	2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार तहसील नौगांव जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 23/अ-3/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 24-04-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 18-08-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।	
	3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –	
	"1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"	
(हस्ताक्षर) 17.01.19	4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

17.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य